सतपुडा भवन भोपाल–462004

क्रमांक 1092/446/आउशि/शा.3/09, भोपाल,दिनांक 5-6-09.

प्रति,

1/ **समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,**
उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश।

2/ **प्राचार्य,**
समस्त शासकीय संस्कृत महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः–शैक्षणिक सत्र 2009–2010 शासकीय संस्कृत महाविद्यालय में अराजपत्रित संवर्ग के रिक्त शिक्षकीय पदो पर अतिथि विद्वानो से अध्यापन व्यवस्था विषयक।

–0–

प्रदेश के विभिन्न शासकीय संस्कृत महाविद्यालयों में अराजपत्रित संवर्ग के रिक्त शिक्षकीय पदों पर जनभागीदारी से मानदेय के आधार पर अतिथि विद्वानों की व्यवस्था का निर्णय छात्रहित में लिया गया है। अतिथि विद्वानो को अध्यापनकी वास्तविक आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जायं यह व्यवस्था निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अंतर्गत की जाएगीः–

कंडिका(i) अतिथि विद्वानों की व्यवस्था अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत तृतीय श्रेणी अलिपिकवर्गीय पदों के विरूद्व ही की जाएगी। ये पद निम्नानुसार हैः–
संस्कृत महाविद्यालयों के लिये–

(i) व्याख्याता संस्कृत
(ii) शिक्षक/प्रशिक्षित स्नातक
(iii) सहायक व्याख्याता/सहायक शिक्षक

कंडिका(ii) अतिथि विद्वानों का चयन लीड कॉलेज के स्तर पर एक समिति द्वारा किया जायेगा। आवेदन महाविद्यालय में प्राप्त किये जावेगें। इस हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को एक पंजी में पंजीबद्व किया जाएगा तथा आवेदक को पावती दी जाएगी पावती में संलग्नकों की सूची एवं संख्या का पूर्ण विवरण होगा। यदि आवेदन में कोई कॉलम अधूरा रह जाता है तो आवेदक से उसकी पूर्ति करवाई जायेगी तथा यदि आवेदक पूर्ति नहीं कर सकेगा तो पावती में उस अधूरे कॉलम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। समिति द्वारा आवेदन पत्र एवं प्राप्ति पंजी को सत्यापित किया जाएगा। प्राचार्यो की अध्यक्षता में एक समिति आवेदन पत्र को प्राप्त कर उसकी समीक्षा करने एवं चयन करने का कार्य करेगी । समिति में लीड महाविद्यालय के प्राचार्य तथा लीड कॉलेज के संबंधित विषयों के विभागाध्यक्ष अथवा वरिष्ठतम शिक्षक सदस्य रहेगे साथ ही कलेक्टर का एक नामांकित प्रतिनिधि भी अनिवार्यतः शामिल रहेगा प्रतिनिधि की उपस्थिति न होने पर चयन प्रकिया मान्य नहीं रहेगी। जिस महाविद्यालय अतिथि विद्वान की रिक्ति है उस महाविद्यालय के प्राचार्य को भी चयन समिति में रखा गया।

कंडिका(iii) चयन प्रकिया पूर्णतया मेरिट के आधार पर होगी। विभिन्न पदो के लिये योग्यता के मापदण्ड म.प्र. संस्कृत शिक्षा(संस्कृत महाविद्यालय,उच्चशिक्षा)

(अराजपत्रित तृतीय श्रेणी शैक्षणिक) भरती नियम 1990 के अनुसार होगी

(अ) संस्कृत महाविद्यालयों के लिये

(i) व्याख्याता

निर्धारित योग्यताः–

1/ संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त संस्था से आचार्य (द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण)

2/ संस्कृत से भिन्न विषय के लिये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में एम.ए.

(ii) शिक्षक/प्रशिक्षक स्नातक

1/ संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त संस्था से शास्त्री (द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण)

2/ संस्कृत से भिन्न विषय के लिये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि (द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण)

(iii) सहायक व्याख्याता/सहायक शिक्षक–

1/ मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तर मध्यमा, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण

उपरोक्तानुसार निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों का मेरिट के आधार पर अतिथि व्याख्यान हेतु चयन किया जाए।

कंडिका(iv)

अतिथि विद्वानों द्वारा प्रस्तुत पिछले वर्षो के आमंत्रण पत्रो को जिस पर उन्होने वास्तविक शिक्षण कार्य किया और प्राचार्य द्वारा प्रदत्त भुगतान पत्रक के अनुसार कार्य दिवसों को ही अनुभव के लिये जोडा जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय महाविद्यालयों में जिन उम्मीदवारों ने कार्य किया होगा उसी अनुभव को अधिभार के रूप में शामिल किया जायेगा। एक अकादमिक सत्र में 100 कार्य दिवस पर 2 अंक एवं 50 एवं उससे कम कालखण्ड होने पर एक अंक दिया जावेगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को (क्रीमी लेयर छोड़कर) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप कुल प्राप्तांको में 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार दिया जायेगा।

विगत सत्र में किसी अतिथि विद्वान के विरूद्व कोई शिकायत प्राप्त हुई है,तो उस पर आयुक्त कार्यालय से स्पष्ट लिखित निर्देश प्राप्त किये बिना किसी भी स्थिति में योग्यता/वरियता क्रम को खंडित नहीं किया जायेगा।

कंडिका(v)

अतिथि विद्वानों की चयन प्रकिया के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि चयनित उम्मीदवार के विरूद्व पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इसके लिये चयनित उम्मीदवार से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाये कि उसके विरूद्व पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन

नही है। साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है। अतिथि विद्वान एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नहीं कर सकेगा। शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उम्मीदवार को व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जायेगा। अतिथि विद्वान किसी भी संस्था में अवैतनिक कार्य करने का आवेदन दे तो सम्पूर्ण विववरण सहित विभागाध्यक्ष से अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय निर्धारित कालखण्डो के पश्चात् ही उक्त अवैतनिक कार्य कर सकेगे।

कंडिका(vi)

अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जाएंगे।

कंडिका(vii)

आमंत्रण पत्र सचिव, जनभागीदारी समिति के हैसियत से जारी किया जावेगा। यह आमंत्रण पत्र रजिस्टर्ड ए.डी.डाक से भेजा जायेगा। वरियता में प्रथम उम्मीदवार के उपस्थित न होने पर पॉच दिन इंतजार करने के बाद ही द्वितीय वरियता प्राप्त उम्मीदवारो को आमंत्रण पत्र दिया जायेगा। रजिस्टर्ड पत्रों की पावती प्राचार्य अपनी अभिरक्षा में रखेगे ताकि आवश्यक होने पर उन्हें संचालनालय में बुलाया जा सके। अध्यापन हेतु आमंत्रित अतिथि विद्वानों की मानदेय भुगतान व्यवस्था संबंधित महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति द्वारा की जायेगी। **उपरोक्त व्यय की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा जनभागीदारी समिति को की जावेगी।**

कंडिका(viii)

मानदेय का भुगतान

अतिथि विद्वान की इस व्यवस्था में मानदेय की दरें निम्नानुसार होगी–

(अ) संस्कृत महाविद्यालयों के लिये

(i)	व्याख्याता	रूपये 200/–प्रवि कार्य दिवस
(ii)	शिक्षक/प्रशिक्षित स्नातक	रूपये 150/– प्रति कार्य दिवस
(iii)	सहायक व्याख्याता/सहायक शिक्षक.	रूपये 100/–प्रति कार्य दिवस

कंडिका(ix)

जनभागीदारी समितियों द्वारा मानदेय के रूप में भुगतान की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव प्राचार्य के माध्यम से प्राप्त होने पर परीक्षण के बाद शासन द्वारा समितियों को अनुदान स्वीकृत किया जावेगा । उक्त अनुदान लेखा प्राचार्यो द्वारा

विधिवत संधारित किया जाऐगा जो लेखा अंकेक्षण के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा। यह लेखा प्रतिमाह ई–मेल से अनिवार्यतः संचालनालय को भेजा जायेगा। लेखा प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि महाविद्यालय को उस माह में राशि की आवश्यकता नहीं तथा बाद में भी इस अवधि की राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। अतः लेखा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ई–मेल से भेजना सुनिश्चित करें।

<u>कंडिका(x)</u>

उपर्युक्तानुसार महाविद्यालय के लिए मानदेय हेतु आवश्यक राशि का औचित्य पूर्ण प्रस्ताव क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा अभिप्रमाणित रिक्त पदो की जानकारी सहित प्राचार्य द्वारा संचालानालय की बजट शाखा को भेजा जायेगा।

<u>कंडिका(xi)</u>

जनभागीदारी समितियों द्वारा उक्तानुसार महाविद्यालयों में मानसेवी व्याख्यान व्यवस्था के लिये नियुक्ति पत्र जारी न किए जाएं और न ही किसी प्रकार जनभागीदारी समिति को इस संदर्भ में नियोक्ता माना जाए। प्राचार्य द्वारा विनम्र भाषा में अतिथि व्याख्यान हेतु विद्वानो को आमंत्रित करने के लिये पत्र भेजें जाएं **ये आमंत्रण पत्र प्रत्येक व्याख्यान के लिये पृथक–पृथक या एक से अधिक व्याख्यान के लिये जारी किए जाए।**

<u>कंडिका(xii)</u>

आमंत्रण पत्र सचिव जनभागीदारी समिति की हैसियत से जारी किये जायेगे। इस कार्य हेतु कोई अनुभव प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जावेग केवल कार्य दिवस एवं कालखण्ड की संख्या एवं भुगतान राशि का पत्रक प्राचार्य द्वारा जारी किया जावेगा।

<u>कंडिका(xiii)</u>

अतिथि व्याख्यान व्यवस्था के विज्ञापन संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक स्तर से उनके क्षेत्र के लिये जारी किया जायेगा, तथा इसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा कि **आवेदन पत्र महाविद्यालयों की जनभागीदारी समितियों के सचिव की ओर से आमंत्रित किये जाते है ।** यह विज्ञापन एक संक्षिप्त विज्ञापन होगा जिसमें अर्हताओं, आवेदन पत्र किस प्रकार का कब तक और किसे प्रस्तुत करना है तथा मानदेय क्या होगा, की जानकारी होगीं । **विज्ञापन में यह उल्लेख होगा कि महाविद्यालयवार तथा विषयवार अतिथि व्याख्यान की आवश्यकता की जानकारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से अथवा महाविद्यालय के नोटिस – बोर्ड से अथवा क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक**

स्तर से प्राप्त की जा सकेगी। विज्ञापन के प्रकाशन के बाद आवेदकगण अपना आवेदन संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगे। महाविद्यालय के सचिव, जनभागीदारी समिति (प्राचार्य) द्वारा संबंधित को पैनल में रखे जाने की सूचना दी जायेगी तथा अध्यापन हेतु आमंत्रण पत्र रजिस्टर्ड डाक से जारी किये जायेगे तथा रसीद संभाल कर रिकार्ड में रखी जायेगी। चयनित लोगो की सूची का प्रकाशन नोटिस–बोर्ड पर तत्काल किया जावेगा।

कंडिका(xiv)

स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के तहत जनभागीदारी समिति द्वारा शैक्षणिक पदो पर अतिथि विद्वानो के चयन की प्रक्रिया उपरोक्तानुसार ही की जावेगी किन्तु उन्हें दिये जाने वाले मानदेय का निर्धारण एवं भुगतान जनभागीदारी समिति के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत होगा।

यह व्यवस्था 28.02.2010 तक अथवा नियमित नियुक्ति से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, पूर्णतः अस्थाई रूप से जारी रहेगी।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश भोपाल

पृ0कमांक 1093/446/आउशि/शा.3/09, भोपाल,दिनांक 4-6-09

प्रतिलिपिः–

1/ माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश के निज सहायक ।
2/ महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3/ प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
4/ समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
5/ समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6/ समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
7/ समस्त अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति, समस्त शासकीय महाविद्यालय,मध्यप्रदेश।
8/ उपसचिव, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय,विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,बिट्टन मार्केट,भोपाल।
9/ समस्त अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश।
10/ समस्त कोषालय एवं उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

......की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त,
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश,भोपाल